


15/04/25

पत्रावली पेश हुई। वादीया एवं वादीया
के अधिकार को बार-बार आवाज
दिलानी गयी। जो हाजिर नहीं है। भवः
अदम हाजरी व अदम पैरवी में वाद
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर
से कम हो। वाद जज्जा कार्रवाही
दाखिल हफ्ता हो।


(दमन-नी हुंवर)
उपायुक्त अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

